न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर

बइजलास मिथलेश कुमार, आरएएस

प्रकरण सं0 20/2020/251 (ए) आरटीए

1. रामेश्वर पुत्र श्रीवाराम
2. जगदीश प्रसाद पुत्र रामकुमार
3. नारायणराम पुत्र रामकुमार
4. पड़पी देवी पत्नी रामकुमार
5. शिशपाल पुत्र रामकुमार
6. भागीरथ पुत्र मोतीराम
7. गीता पुत्री मोतीराम
8. पीसूदेवी पुत्री मोतीराम
9. भगवानी देवी पुत्र मोतीराम
10. सोनी देवी पत्नी मोतीराम

समस्त जाति जाट निवासीगण रैवासी तहसील धोद जिला सीकर

—प्रार्थीगण

बनाम

1. संतोष पत्नी नेमीचंद
2. सुभाष पुत्र नेमीचंद

समस्त जाति जाट निवासीगण रैवासी तहसील धोद जिला सीकर

3. शाखा प्रबंधक, बड़ौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा सिहोट बड़ी, तहसील धोद
4. तहसीलदार, धोद मु. सीकर जिला सीकर

—अप्रार्थीगण

<u>आवेदन अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थिति—

1. श्री नानूराम बुडानियां, वकील प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री गिरधारीलाल गुर्जर, वकील अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक— 12.03.2021

01. वकील प्रार्थीगण की ओर से आवेदन अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाके ग्राम रैवासी तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित प्रार्थी सं. 1 के कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा सं. 102 रकबा 0.48 हेक्टेयर व प्रार्थी सं. 2 ता 5 की खातेदारी की भूमि खसरा सं. 546/104 रकबा 0.33 हेक्टेयर, खसरा सं. 103 रकबा 0.45 हेक्टेयर की खातेदारी प्रार्थी सं. 6 ता 10 एवं अप्रार्थी सं. 1 के नाम से एवं खसरा सं. 106 रकबा 0.24 हेक्टेयर एवं खसरा सं. 105 रकबा 0.0800 हेक्टेयर है। उक्त वादग्रस्त आराजियात में आवागमन हेतु कटान में कोई रास्ता मौजूद नहीं है, लेकिन प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 ता 2 ने आपसी सहमति से 5 मीटर चौड़ रास्ता जो तालाब से गांव की सड़क से खसरा सं. 546/104 की दक्षिण सींव के सहारे—सहारे खसरा सं. 103 पूर्वी सींव के सहारे—सहारे खसरा सं. 105 से होते हुये खसरा सं. 106 की दक्षिणी सींव के सहारे—सहारे खसरा सं. 102 में प्रवेश करता है। जो संलग्न नक्शे में **A.B.C.D.E** से

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.04.09 10:44:34 IST
Reason: SelfAttested

बरंग लाल सुर्ख से दर्शित है। यह कि प्रार्थीगण की आपसी सहमति से प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु रास्ते के प्रयोजन में आने वाली भूमि का विवरण निम्नानुसार है–

क्र.सं.	खसरा सं.	रकबा	खातेदार का नाम	रास्ते का क्षेत्रफल
1	546/102	0.33 हेक्टेयर	जगदीश प्रसाद, नारायणराम, रिछपाल पुत्र रामकुमार पहपी देवी पत्नी रामकुमार जाति जाट सा. देह	0.0194 हेक्टेयर
2	103	0.46 हेक्टेयर	भागीरथ पुत्र मोतीराम, गीता, धीसू, भगवानी पुत्रिया मोतीराम, सोनी पत्नी मोतीराम संतोष पत्नी नेमीचंद सुभाष पुत्र नेमीचंद जाति जाट सा. देह	0.0190 हेक्टेयर
3	106	0.24 हेक्टेयर	संतोष पत्नी नेमीचंद जाति जाट सा. देह	0.0307 हेक्टेयर

यह कि भूमि खसरा सं. 546/104, 103, 106 के उक्त रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, उक्त रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है, इसलिए प्रार्थीगण उक्त रास्ते को कटान में करवाये जाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण ने तो रास्ते में जाने वाली भूमियों को आनुपातिक रूप से मुआवजा का भी समायोजन कर लिया है, जिससे आपस में कोई मुआवजा नहीं लेना चाहते है। यह कि अप्रार्थी सं. 1 ता 2 जो कई दिनों से राजीरजा प्रचलित रास्ते को कटान में करवाये जाने का आश्वासन दे रहे है तथा कहने पर दिनांक 15.06.2020 को रास्ते को कटान करवाने के लिए मना करने पर यह आवेदन पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। वादग्रस्त आराजियात अप्रार्थी सं. 3 के यहां पक्षकारों ने अपनी भूमियों को रहन कर रखा है तथा अप्रार्थी सं. 4 जो भूमिधारक राज्य सरकार का प्रतिनिधि होने से आवश्यक अप्रार्थी के रूप में पक्षकार बनाये गये है। आवेदन न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार एव क्षेत्राधिकार का होने से आवेदन उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद पेश है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम रैवासी तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित आराजियात भूमि खसरा सं. 546/104, 103, 106 में से आवागमन हेतु 5 मीटर चौड़ा रास्ता जो आवेदन की मद सं. 2 व 3 व संलग्न नक्शे में A.B.C.D.E से बरंग लाल सुर्ख से दर्शित है, को रास्ते के रूप में कटान किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें।

02. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया व तहसीलदार को प्रकरण में रिपोर्ट हेतु लिखा गया। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री गिरधारीलाल गुर्जर उपस्थित होकर जवाब पेश कर प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की। अप्रार्थी सं. 3 पर बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उक्त के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अप्रार्थी सं. 4 तहसीलदार, धोद के पत्रांक/राजस्व/2020/647 दिनांक 21.08.2020 के द्वारा के द्वारा विस्तृत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई। वकील प्रार्थीगण की ओर से एक आवेदन बाबत संशोधन हेतु पेश कर निवदेन किया गया कि खसरा सं. 103 के तत्कालीन खातेदार प्रार्थी सं. 6 ता 10 का नाम हजफ फरमाया जावें। जिस पर वकील अप्रार्थीगण के द्वारा स्वीकार करने पर उक्त आवेदन को स्वीकार कर प्रार्थी सं. 6 ता 10 का नाम सूची से हजफ किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.04.09 10:44:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

03\. बहस उभयपक्ष से सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण ने यह कथन किया कि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार भूमि के बदले रास्ता दिये जाने में उभयपक्ष सहमत है। उसी अनुरूप रास्ते का आदेश दिया जावे।

04\. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम रैवासी तहसील धोद के खसरा सं. 158 रकबा 3.03 हेक्टेयर व खसरा सं. 53 रकबा 337 हेक्टेयर में आवागमन के संबंध में तहसीलदार धोद द्वारा प्रस्तावित रास्ता (नजरी नक्शा में हरे रंग से प्रदर्शित) के लिए समस्त खातेदार सहमत है। अतः उक्त प्रस्तावित रास्ता दिये जाने की अभिशंषा की जाती है।

अतः तहसीलदार, धोद की नक्शा सहित प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार वाके ग्राम रैवासी तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित आराजियात भूमि खसरा सं. 546/104, 103, 106 में से आवागमन के संबंध में तहसीलदार धोद द्वारा प्रस्तावित रास्ता (नजरी नक्शा में हरे रंग से प्रदर्शित) के अनुसार प्रस्तावित सारणी के अनुसार नक्शे में रास्ते का अंकन किया जाकर नवीन रास्ते को पृथक बट्टा नम्बर नियमानुसार आवंटित किया जावे तथा किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करते हुए रास्ते को सिवायचक खाते (रास्ते/पगडंडियां आदि) में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है:-

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	रिछपाल पुत्र रामकुमार हि.1/18 राहिन बीआरकेजीबी शाखा सिहोट बड़ी जगदीश प्रसाद पुत्र रामकुमार हि. 5/18, नारायण राम पुत्र रामकुमार हि. 5/18 पहपी देवी पत्नी रामकुमार हि. 1/6 जाति जाट सा. देह	546/104	0.3300 हेक्टेयर	चाही प्रथम	0.0194 हेक्टेयर
2	गीता पुत्र मोतीराम हि. 1/6, धीसू पुत्री मोतीराम हि. 1/6, भगवानी देवी पुत्री मोतीराम हि. 1/6, भागीरथ पुत्र मोतीराम हि. 1/6, संतोष पत्नी नेमीचंद हि.1/12, सुभाष पुत्र नेमीचंद हि. 1/12, सोनी पत्नी मोतीराम हि. 1/6 जाति जाट सा. देह	103	0.4500 हेक्टेयर	चाही प्रथम	0.0190 हेक्टेयर
3	सिवायचक राज्य सरकार	105	0.0800 हेक्टेयर	गै.मु. चाह	डोटेड लाईन से रास्ता नक्शे में दर्ज करना
4	संतोष देवी पत्नी नेमीचंद जाति जाट सा. देह	106	0.2400 हेक्टेयर	चाही प्रथम	0.0307 हेक्टेयर

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में [illegible] जाकर पालना रिपोर्ट से इस न्यायालय को अवगत करावें। तहसीलदार, धोद [illegible] रिपोर्ट मय संलग्न नजरी नक्शा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithilesh Kumar
Date: 2021.04.09 10:44:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। तदनुसार पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मिथलेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, धोद मु० सीकर
धोद मु. सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.04.09 10:44:34 IST
Reason: SelfAttested